




XXXIX(a)SR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 321-दो/15

जिला - भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, मेहगांव द्वारा प्र0क्र0 13/13-14/अ-6 में पारित आदेश 16-1-15 से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति को निरस्त किया गया है ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमो में स्वयं यह स्वीकार किया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया है । संहिता की धारा 115, 116 के तहत सुनवाई का अधिकारी तहसील न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> सदस्य</p>



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. क्रं. 1015 नि. मा.

निं./321-PBR-15

दिनांक 9-2-15 को
श्री सुदामा शर्मा द्वारा
माफि करवाये गये।
9-2-15

- 1, कैलाशनारायण
- 2, रामकुमार पुत्रगण विद्याराम
- 3, रामनारायण पुत्र अजुदी जाति ब्राम्हण
नि. ग्राम गाता परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. :- सिव्हीजन कर्ता

विरुद्ध
प्रभाकर पुत्र विशम्बरदयाल जाति ब्रा.
नि.ग्राम गाता परगना मेहगांव जिला
भिण्ड म.प्र. :- नोननगरानी


निगरानी विरुद्ध तेहसीलदार मेहगांव के प्र.क्रं.
13 / 13, 14 अ 6 आ में पारित आदेश
दिनांक := 16, 1, 015 से दुखित होकर धारा 50
भू.रा. संहिता 1959 ,

====X=====

श्रीमान् जी,
सेवा में मुझ निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न तथ्यो
व आधारो पर प्रस्तुत है। :=

// निगरानी के तथ्य //

111 - यहकि अधीनस्थ न्यायालयके समक्ष नोननगरानी कर्ता द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय एक आवेदन पत्र 115, 116 म.प्र. भू.रा.संहिता
तहत पेश किया जिस में लेख किया। कि भूमि क्रं. 979 स्थित मोजा
गावा परगना मेहगांव में जिस के बन्दोबस्तके वाद 603 रकबा
0.86 एवं 604 रकबा 0.90 बनाये है। कलमनं. 5 में रिकार्ड दुरस्ती
चाही गई।



121- यहकि मुझ निगरानी कर्ता द्वारा आवेदन काजबाब पेश कर